न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी, देवली जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :–25.11.2025

मिशल संख्याः– 60/2024

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. मानसिंह मीणा पुत्र भूरा मीणा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर (राज.)

बनाम

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार देवली

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) आर.टी.ए.</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 21 खसरा नम्बर 1498/93 रकबा 0.28 है0 वाके तनग्राम रामथला पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में आराजी खसरा न0 111 गै0मु0 सड़क जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज है एवं, खसरा नम्बर 1999/92 रकबा 0.31 है0 सिवायचक भूमि दर्ज है। प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि पर गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 111 से सिवायचक खसरा नम्बर 1999/92 में से होकर आते जाते रहे है तथा अपने कृषि संबंधी यंत्र भी इसी रास्ते से होकर लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहे है। जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि पर गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 111 से सिवायचक खसरा नम्बर 1999/92 में से होकर 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0 धाा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी

Ruby

एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 21 खसरा नम्बर 1498/93 रकबा 0.28 है0 वाके तनग्राम रामथला पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान मे पर जाने के लिये गै0मु0 सड़क खसरा नम्बर 111 से सिवायचक खसरा नम्बर 1999/92 में से होकर 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी तहसीलदार की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी को आराजी पर पहुंचने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित नही किया जा सकता। प्रस्तावित रास्ता रिकार्डेड रास्ता खसरा न0 111 किस्म गै0मु0 सड़क से जुडा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ा व लम्बाई क्षेत्रफल वर्गमीटर में निम्नानुसार है।

क्र.स.	खसरा नम्बर	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	1999/92	4	9.15	36.6
कुल	1	4	9.15	36.6

प्रस्तावित रास्ते चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 494920/– प्रति0 है0 है जिसकी एक गुणा कुल राशि 1812 व दुगुनी 3624 रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी खसरा नम्बर 1999/92 सिवायचक काबिल काश्त से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना, पेड़ दीवार इत्यादि नहीं है। प्रार्थी को रास्ता नही होने के कारण प्रस्तावित रास्ता देने में कोई आपत्ति नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, और डीएलसी की प्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार देवली ने जवाब व रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार देवली की रिपोर्ट में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात खाता नम्बर 21 खसरा नम्बर 1498/93 रकबा 0.28 है0 वाके तनग्राम रामथला पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि राजकीय भूमि सिवायचक है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायोचित प्रतीत होने से स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि कार्यालय कमांक 935 दिनांक 15.05.2024 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार आराजीयात खाता नम्बर 21 खसरा नम्बर 1498/93 रकबा 0.28 है0 वाके तनग्राम रामथला पटवार हल्का मालेड़ा तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में **कृषि कार्य हेतु पहुंच मार्ग निम्न प्रकार रहेगा।**

क्र.स.	खसरा नम्बर	लंबाई (मीटर)	चौड़ाई (मीटर)	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1	1999/92	4	9.15	36.6
कुल	1	4	9.15	36.6

प्रस्तावित रास्ते हेतु कुल क्षेत्रफल 36.6 वर्गमीटर के लिये प्रस्तावित रास्ते चाहे जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 494920/– प्रति0 है0 है जिसकी एक गुणा कुल राशि 1812 व दुगुनी 3624 रूपये प्रतिकर राशि जमा राजकोष कर अथवा पुनः वर्तमान में प्रचलित डीएलसी की दुगनी दर से गणना कर राशि जमा राजकोष कर, राजस्व रिकॉर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में अमल दरामद कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 25.11.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली
उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)